



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 541 राँची, बुधवार,

21 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

27 फरवरी, 2024

विषयः. झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ।

संख्या-13/वरीय विविध-01/2024 का०1459--प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (सेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी अनुशंसाएँ एवं उक्त क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 1022/1989 (All India Judges Association Vs Union of india and Ors.) में दिनांक 06.12.2005 एवं 21.02.2006 को पारित आदेश के संदर्भ में झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 4598 दिनांक 29.08.2006 निर्गत है ।

2. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गयी अनुशंसाओं एवं उक्त क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(Civil) No.643/2015, All India Judges Association Vs Union of india and Ors मामले में दिनांक 04.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भत्ते एवं सुविधाएँ निम्न रूप में देय होंगे:-

- I. **गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance):-** झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भारत सरकार के House Building Advance Rules, 2017 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त निजी व्यक्ति से Ready Build House क्रय करने की अनुमति अनुमान्य होगी।

अथवा

झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को Advance की सुविधा अनुमान्य होगी। राज्य सरकार के सरकारी सेवकों की भाँति गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) की सुविधा अनुमान्य होगी।

- II. **बच्चों की शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance):-** राज्य के प्रत्येक न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को शैक्षणिक वर्ष (Academic Year) 2019-20 के प्रभाव से निम्न रूपेण (Children Education Allowance) अनुमान्य होगा।

- (i) कक्षा 12 तक दो बच्चों की शिक्षा हेतु प्रति माह 2250.00 रु० शैक्षणिक भत्ता एवं प्रतिमाह 6750.00 रु० छात्रावास सब्सिडी अनुमान्य होगा।
- (ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रतिपूर्ति उपर्युक्त उल्लेखित दर से दुगुनी होगी।
- (iii) महँगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर भत्ते और सब्सिडी में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

जिन पदाधिकारियों को यह लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है उनपर अनुशंसा का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- III. **नगर प्रतिपूरक भत्ता (City Compensatory Allowance):-** आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर प्रतिपूरक भत्ता को समाप्त किया गया है, परन्तु भुगतान किये गये नगर प्रतिपूरक भत्ते की वसूली संबंधित पदाधिकारियों से नहीं की जायेगी।

- IV. **अतिरिक्त प्रभार भत्ता (Concurrent Charge Allowance):-**

- (i) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को अतिरिक्त पद के कार्य के प्रभार में 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि तक कार्यरत रहने तथा पर्याप्त न्यायिक कार्यों के संपादन करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त प्रभार के पद के न्यूनतम वेतनमान के दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमान्य होगा।
- (ii) न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा किये गये कार्यों की संख्या, न्यायिक कार्य की मात्रा एवं सम्पादित प्रशासनिक कार्यों के आधार पर अतिरिक्त प्रभार भत्ता देने का निर्णय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

V. **वाहन/परिवहन भत्ता (Conveyance/Transport Allowance):-** राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों के लिए पूर्व से निर्गत आदेश को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित रूप से वाहन सुविधा/परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) पुल कार की सुविधा को समाप्त की जाती है। राज्य में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारी अपनी इच्छानुसार इस सुविधा को एक वर्ष या इससे अधिक समय तक के लिए जारी रख सकते हैं, परन्तु ऐसी स्थिति में उन्हें परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
- (ii) न्यायिक पदाधिकारियों को स्वयं के वाहन के रख रखाव एवं चालक के वेतन हेतु प्रदान किया जाने वाले परिवहन भत्ता को दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से 10,000.00 रु० से बढ़ाकर 13,500.00 रु० प्रतिमाह किया जाता है। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2020 तक परिवहन भत्ता 10,000.00 रुपये की दर से अनुमान्य होगा।
वैसे न्यायिक पदाधिकारियों को सरकारी चालक या वाहन चालन जाननेवाले परिचारक/आदेशपाल आवंटित हैं, उन्हें प्रतिमाह 4,000 रु० का परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।
- (iii) परिवहन भत्ता के अतिरिक्त, शहरों यथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1994/वि० दिनांक-29.06.2010 एवं संकल्प संख्या-400/वि० दिनांक-02.02.2017 के अनुसार 100 लीटर पेट्रोल/डीजल तथा अन्य क्षेत्रों में 75 लीटर पेट्रोल/डीजल के कीमत की प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।
- (iv) प्रधान जिला न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/निदेशक, Judicial Academy/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक स्वतंत्र वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय उक्त सूची को कम कर सकती है।
- (v) न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा उपयोग में लाये जा रहे सरकारी वाहनों के सरकारी प्रायोजन को उनके द्वारा प्रमाणित किये जाने एवं लॉग बुक संधारित किये जाने की शर्त पर डीजल एवं पेट्रोल की वास्तविक खपत की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। न्यायिक पदाधिकारी प्रतिमाह 300 किलोमीटर सीमा के अन्दर निजी उद्देश्यों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग कर सकेंगे।
- (vi) न्यायिक पदाधिकारियों को 10 लाख की सीमा तक Nominal Interest पर वाहन क्रय हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

VI. **महँगाई भत्ता (Dearness Allowance):-** राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप महँगाई भत्ता पूर्व से ही प्रदत्त है।

VII. अर्जित अवकाश नकदीकरण (Earned Leave Encashment):-

- A. राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों/वरीय न्यायिक पदाधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों का अर्जित अवकाश नकदीकरण अनुमान्य होगा।
- B. राज्य के न्यायिक पदाधिकारी/वरीय न्यायिक पदाधिकारी नकदीकरण का हकदार होगा:-
- LTC का उपभोग करते समय 10 दिनों की अर्जित अवकाश, जो अधिकतम सीमा 60 दिनों के अधीन अनुमान्य होगा। पदाधिकारी अपने पूरे सेवाकाल में एक समय में 10 दिन तक यह सुविधा 06 बार प्राप्त कर सकेंगे।
 - 02 वर्षों के ब्लॉक में 30 दिन।
 - उपरोक्त (i) एवं (ii) के प्रावधान सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों के अर्जित अवकाश नकदीकरण के अतिरिक्त होगा।
- C. वैसे पदाधिकारियों जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके अवकाश नकदीकरण स्वीकृति के समय उनके द्वारा अपने सेवाकाल में किये गये Leave Encashment को समायोजित करते हुए समायोजित अर्जित अवकाश के भुगतान की कार्रवाई तीन माह के अंदर की जायेगी।

VIII. जल एवं विद्युत चार्ज (Water and Electricity Charges):-

- प्रतिपूर्ति के प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित 50 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति Formula जारी रहेगा।
- विद्युत इकाई एवं जल की मात्रा के उपयोग की सीमा निम्नवत् होगी:

Designation	Electricity	Water Quantity
District Judges	8000 Units per annum	420 Kls per annum
Civil Judges	6000 units per annum	336 Kls per annum

- यह प्रतिपूर्ति भुगतान किये गये विपत्रों को प्रस्तुत करने के उपरांत तिमाही आधार पर की जायेगी।
- बढ़े हुए भत्ते दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से देय होंगे।

IX. उच्च योग्यता भत्ता (Higher Qualification Allowance):-

- न्यायिक पदाधिकारियों को उच्च योग्यता अर्थात् कानून में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि तथा कानून में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने पर एक अतिरिक्त अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य होगा।

- (ii) कानून में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री के लिए प्रदत्त अग्रिम वेतन वृद्धि वैसी स्थिति में पदाधिकारी को दोबारा नहीं दी जायेगी, यदि भविष्य में वे किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं।
- (iii) अग्रिम वेतन वृद्धि उन्हीं पदाधिकारी को अनुमान्य होगी जिसने या तो भर्ती से पहले या सेवा में रहने के बाद किसी भी समय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हो।
- (iv) यदि पदाधिकारी ने सेवा में भर्ती होने के पूर्व ही स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट प्राप्त कर ली है, तो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रारंभिक भर्ती की तिथि से अनुमान्य होगी। यदि पदाधिकारी के द्वारा यदि सेवा में भर्ती होने के बाद स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री अर्जित की है, तो अग्रिम वेतन वृद्धि डिग्री अर्जित करने की तिथि से अनुमान्य होगी।
- (v) पदाधिकारियों को उच्चतर योग्यता के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि नियमित अध्ययन (पूर्णकालिक या अंशकालिक) या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने की स्थिति में अनुमान्य होगी।
- (vi) अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ एसीपी चरण ACP I या II) में भी अनुमान्य होगा। अग्रिम वेतन वृद्धि तब भी उपलब्ध होगी जब पदाधिकारी को सिविल जज (जूनियर डिविजन) से सिविल जज (सीनियर डिविजन) तथा सिविल जज (सीनियर डिविजन) से जिला जज कैडर में पदोन्नत किया जाता है।
- (vii) अग्रिम वेतन वृद्धि जिला न्यायाधीश संवर्ग में जिला न्यायाधीश (Entry Level) से जिला न्यायाधीश (Selection Grade) तक और जिला न्यायाधीश (Selection Grade) से जिला न्यायाधीश (Super Time Scale) तक को अनुमान्य होगी।
- (viii) अग्रिम वेतन वृद्धि वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता तदनुसार अनुमान्य होगी।

X. गृह अर्दलीघरेलू सहायता भत्ता (Home Orderly Help Allowance) :-

- (i). न्यायिक पदाधिकारियों को गृहसह-कार्यालय अर्दली भत्ता निम्न दर पर अनुमान्य होगा:-
 - (a) जिला न्यायाधीश:- राज्य में एक अकुशल मजदूर के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अनुमान्य दर से जो प्रतिमाह 10,000.00 रु० से अन्यून होगा।
 - (b) सिविल जज:- राज्य में एक अकुशल मजदूर के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का 60 प्रतिशत की दर से जो प्रतिमाह 7500.00 रु० से अन्यून होगा।

- (ii) न्यायिक पदाधिकारियों को गृहसह-कार्यालय अर्दली भत्ता दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अनुमान्य होगा।
- (iii) जिन न्यायिक पदाधिकारियों को आवासीय कर्तव्यों के लिए परिचारक/आदेशपाल/कार्यालय अधीनस्थ उपलब्ध कराया गया है, वे न्यायिक पदाधिकारी या तो वर्तमान प्रणाली को जारी रख सकते हैं या अनुशंसित भत्ते का त्याग कर सकते हैं या कार्यालय परिचारक/आदेशपाल की सेवा लेने की बजाय भत्ते का दावा करने का विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
- (iv) न्यूनतम वेतन के समतुल्य समेकित वेतन पर नियुक्त गृह अर्दली/आवासीय परिचारक/सेवक का पैनेल तैयार करते हुए उन्हें न्यायिक पदाधिकारियों को आवंटित करने का निर्णय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा किया जायेगा और ऐसे मामलों में गृह अर्दली भत्ते का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (v) दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से घरेलू सहायता भत्ता पेंशनधारियों के लिए प्रतिमाह 9000.00 ₹ तथा पारिवारिक पेंशनधारियों के लिए प्रतिमाह 7500.00 ₹ अनुमान्य होगा। दिनांक-01.01.2016 से 05 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथा 01.01.2021 के प्रभाव से उक्त भत्ते में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमान्य होगी।
- (vi) न्यायिक पदाधिकारी/पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनधारियों के स्वयं प्रमाणन (Self Certification) के पश्चात् ही भत्ता अनुमान्य होगा।

XI मकान किराया भत्ता एवं आवासीय क्वार्टर (House Rent Allowance & Residential Quarters):-

(A) आवासीय क्वार्टर (Residential Quarters):-

- (i) प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी को उनकी पात्रता के अनुसार निशुल्क सरकारी आवास भवन निर्माण विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा अथवा प्रभार ग्रहण के एक माह के अंदर उनकी माँग के अनुसार निजी आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ii) यदि न्यायिक पदाधिकारियों को एक महीने के भीतर सरकारी आवास या अपेक्षित निजी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वे निजी आवास निम्नलिखित शर्तों के अधीन ले सकते हैं:-
 - (a) यदि निजी आवास का किराया नीचे उल्लेखित अनुमान्य मकान किराया भत्ता के अन्दर है, तो किराया निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु संबंधित न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा भुगतान किये जा रहे वास्तविक किराये को प्रमाणित करना होगा।
 - (b) यदि निजी आवास का किराया अनुमान्य मकान किराया भत्ता से अधिक है, तो किराये का मूल्यांकन PWD/R&B पदाधिकारियों की सहायता से प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।
 - (c) यदि अनुमान्य मकान किराया भत्ता और मूल्यांकन किये गये किराये के बीच का अन्तर 15 प्रतिशत से अधिक है तो प्रधान जिला न्यायाधीश उक्त राशि के भुगतान के लिए झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा प्राप्त करेगा बशर्ते कि

संबंधित न्यायिक पदाधिकारी अन्तर राशि का भुगतान करने के लिए तैयार न हो ।

B. मकान किराया भत्ता (HRA):-

- (i) जिन न्यायिक पदाधिकारियों को सरकारी आवास आवंटित किया गया है, वे मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे ।
- (ii) वैसे न्यायिक पदाधिकारी जो अपने आवास में निवास कर रहे हैं या माता-पिता या पति/पत्नी (जो लागू हो) के घर में निवास कर रहे हैं, वे उच्च न्यायालय से अपने घर में रहने की अनुमति प्राप्त करने के बाद 01.01.2016 के प्रभाव से अनुशंसित HRA के हकदार होंगे। साथ ही, वैसे न्यायिक पदाधिकारी जो पहले से ही किराए के आवास में रह रहे हैं वे दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अनुशंसित HRA के हकदार होंगे। भुगतान किया गया वास्तविक किराया उक्त सीमा के अधीन होगा ।
- (iii) प्रधान जिला न्यायाधीश का कार्यालय या समकक्ष कार्यालय सीधे मकान मालिक को किराया भुगतान करेगा, ऐसी स्थिति में पदाधिकारी HRA प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे ।
- (iv) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को मकान किराया भत्ता राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप (X श्रेणी- 24% Y श्रेणी 16% Z श्रेणी 8%) पूर्व से ही देय है जो क्रमशः प्रतिमाह 5400, 3600 और 1800 रुपये से कम नहीं होगा ।
- (v) महंगाई भत्ते में परिवर्तन होने पर न्यायिक पदाधिकारियों के लिए मकान किराया भत्ता में निम्नवत परिवर्तन होगा:-

Classification of Cities	Rates of HRA/pm as % of basic pay	When DA crosses
X	27%	25%
	30%	50%
Y	18%	25%
	20%	50%
Z	09%	25%
	10%	50%

C. फर्नीचर और एयर कंडीशनर भत्ता (Furniture and Air Conditioner Allowance):-

- (i) प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी को प्रत्येक पाँच वर्ष में क्रय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के शर्तों के अधीन 1.25 लाख रुपये का फर्नीचर अनुदान अनुमान्य होगा। उक्त अनुदान से घरेलू विद्युत उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं ।
- (ii) वैसे न्यायिक पदाधिकारी जिनकी सेवा दो वर्षों की हो चुकी है वे भी इस भत्ते के पात्र होंगे ।

- (iii) पदाधिकारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे फर्नीचर को मूल्यहास दर पर खरीदने का विकल्प नए अनुदान या सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध होगा।
- (iv) फर्नीचर अनुदान के अलावा प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी के आवास पर प्रत्येक पांच वर्ष में एक एयर कंडीशनर प्रदान किया जाएगा।

D. आवासीय क्वार्टर रख रखाव (Maintenance):-

आवासीय क्वार्टरों के उचित रख रखाव हेतु झारखण्ड उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर प्रत्येक प्रधान जिला न्यायाधीश को दस लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी और प्रस्ताव प्राप्त होने के दो माह के भीतर प्रस्तावित राशि की मंजूरी राज्य सरकार प्रदान करेगी।

XII. एल.टी.सी./एच.टी.सी.(LTC/HTC):- न्यायिक पदाधिकारियों के लिए एल.टी.सी. एवं एच.टी.सी. के अधीन निम्न सुविधाएँ अनुमान्य होंगी :-

- (i) LTC की सुविधा का उपभोग नहीं करने पर एक माह के वेतन का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।
- (ii) LTC (HTC नहीं) का उपभोग करने की स्थिति में 10 दिनों का अर्जित अवकाश का नगदीकरण अनुमान्य होगा जिसकी अधिकतम सीमा 60 दिनों की होगी। यह सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन और दो साल के ब्लॉक में 30 दिन के नगदीकरण के अतिरिक्त होगा।
- iii(a) LTC की आवृत्ति के संबंध में न्यायिक पदाधिकारियों को 3 साल के ब्लॉक में एक LTC और एक HTC अनुमान्य होगा।
- iii(b) नव नियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों को 3 साल के पहले ब्लॉक में 2 बार HTC अनुमान्य होगा। उनके लिए 3 साल का ब्लॉक परिवीक्षा के लिए निर्धारित अवधि के पूर्ण होने पर शुरू होगा।
- iv(a) न्यायिक पदाधिकारियों को उनकी कोटि के आधार पर हवाई यात्रा अनुमान्य होगी और प्रतिपूर्ति इस शर्त के अधीन की जाएगी कि टिकट या तो सीधे एयरलाइंस से या केंद्र/राज्य सरकार के अधिकृत एजेंटों अर्थात् अशोक ट्रेवल्स बामर एवं लॉरी और आई.आर.सी.टी.सी. से खरीदे गए हों।
- iv(b) अन्य विवरण जैसे यात्रा की श्रेणी, अग्रिम आदि राज्य से निर्गत नियमों/आदेशों से शासित होंगे।
- (v) न्यायिक पदाधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए भारत में कहीं भी LTC को आगे बढ़ाने की सुविधा अनुमान्य होगी।
- (vi) सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को LTC/HTC की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

- (vii) न्यायिक पदाधिकारियों को LTC/HTC प्रयोजन के लिए केवल अर्जित अवकाश का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें दो दिनों की सीमा तक prefix और suffix के साथ आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने की भी अनुमति होगी।

XIII. **चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance)**

- (i) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से रु० 3000/- प्रति माह तय चिकित्सा भत्ता अनुमान्य होगा।
- (ii) पेंशनधारी एवं परिवारिक पेंशनधारियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से रु० 4000/- प्रति माह तय चिकित्सा भत्ता अनुमान्य होगा।

XIV. **समाचार पत्र/पत्रिका भत्ता (Newspaper and Magazine Allowance):-**

- (i) राज्य के सभी जिला न्यायाधीशों को दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से दो समाचार पत्रों एवं दो पत्रिकाओं की प्रतिपूर्ति हेतु 1000.00 रु० तथा सिविल जजों को दो समाचार पत्रों एवं एक पत्रिका की प्रतिपूर्ति हेतु 700.00 रु० अनुमान्य होगा।
- (ii) प्रतिपूर्ति स्वयं प्रमाणन (Self Certification) पर अर्द्धवार्षिक आधार पर (जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर) की जायेगी।

XV. **पोशाक भत्ता (Robe Allowance):-** झारखण्ड राज्य में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से प्रत्येक 03 वर्ष पर 12,000.00 रु० का पोशाक भत्ता अनुमान्य होगा।

XVI. **प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेष वेतन (Special Pay for Administrative work):-** न्यायिक पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक कर्तव्यों के निष्पादन हेतु दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से निम्न रूप से विशेष वेतन अनुमान्य होगा:-

a	Principal District and Sessions Judges	Rs. 7000/-per month.
b	Other District Judges including I Additional District Judges entrusted with administrative work who have to generally spend time beyond Court working hours	Rs. 3500/- per month.
c	District Judges presiding over Special Courts and Tribunals having independent administrative responsibilities	Rs. 3500/- per month.
d	CJMs and Principal Senior, Junior Civil Judges and other Judicial Officers having administrative responsibilities being in charge of independent Court with filling powers	Rs. 2000/- per month.

XVII. आतिथ्य भत्ता (Sumptuary Allowance):-

- (i) राज्य के सभी जिला न्यायाधीशों को प्रतिमाह 7800/- रुपये, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को 5800/- रुपये एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को 3800/- रुपये दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से आतिथ्य भत्ता अनुमान्य होगा ।
- (ii) जिलों में प्रशासनिक कार्यों के प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश/सेलेक्शन ग्रेड एवं सुपर टाईम स्केल के जिला न्यायाधीश/निदेशक, न्यायिक अकादमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान/सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को अतिरिक्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु 1000/- रुपये का अतिरिक्त आतिथ्य भत्ता अनुमान्य होगा ।

XVIII. दूरभाष सुविधा (Telephone Facility) :-

- (i) न्यायिक पदाधिकारियों को उनके आवास पर निम्नरूपेण Landline एवं Broadband (सभी दर, कॉल (लॉकल एवं STD) एवं इन्टरनेट सहित) की सुविधा अनुमान्य होगी:-

1.	जिला न्यायाधीश	1500/- रू० प्रतिमाह	1000/- रू० प्रतिमाह (Broadband की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में)
2.	सिविल जज	1000/- रू० प्रतिमाह	750/- रू० प्रतिमाह (Broadband की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में)

- (ii) न्यायिक पदाधिकारियों को मोबाईल फोन (Handset) के क्रय एवं इन्टरनेट की सुविधा निम्नरूपेण अनुमान्य होगी:-

क्र०	न्यायिक पदाधिकारी	मोबाईल फोन (Handset) क्रय की सीमा	मोबाईल फोन (इन्टरनेट डाटा सहित) के उपयोग हेतु कॉल सीमा
1.	जिला न्यायाधीश	30,000/-रू०	2000/-रू० प्रतिमाह
2.	सिविल जज	20,000/-रू०	1500/-रू० प्रतिमाह

- (iii) न्यायिक पदाधिकारियों के अनुरोध पर प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार मोबाईल फोन (Handset) बदलने की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- (iv) न्यायिक पदाधिकारियों के पास पुराने Mobile Handset को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रजिस्ट्री के द्वारा मूल्य निर्धारित करते हुए Retain करने का विकल्प होगा ।
- (v) वर्तमान में कार्यालय में उपलब्ध दूरभाष की सुविधा यथावत् रहेगी।

XIX. स्थानान्तरण अनुदान (Transfer Grant):-

- (i) न्यायिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पर समग्र स्थानान्तरण अनुदान (Composite transfer grant) एक माह के मूल वेतन के समतुल्य अनुमान्य होगा ।

- (ii) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को 20 किलोमीटर या उससे कम या उसी शहर में स्थानांतरण होने की स्थिति (आवास के वास्तविक परिवर्तन होने पर) में उन्हें एक माह के मूल वेतन का 1/3 स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य होगा।
 - (iii) निजी सामग्रियों के परिवहन के लिए सातवें CPC द्वारा किये गये अनुशंसाओं के अनुरूप वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत O.M. दिनांक 13.07.2017 द्वारा निर्धारित दर अनुमान्य होगा।
 - (iv) सड़क के माध्यम से परिवहन की स्थिति में प्रति किलोमीटर 50 रु की दर (सामग्रियों के loading/Unloading हेतु मजदूरी सहित या वास्तविक व्यय जो भी कम हो) से स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य होगा। महँगाई भत्ता के 50 प्रतिशत होने की स्थिति में उक्त दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
 - (v) उपर्युक्त अनुदान दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से प्रभावी होगा।
 - (vi) वैसे न्यायिक पदाधिकारी जिनका स्थानान्तरण दिनांक 01.01.2016 के बाद हुआ है और उनके द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के पूर्वस्थानान्तरण अनुदान का दावा किया गया है, उन्हें पुनरीक्षित वेतन के आधार पर अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा।
3. कंडिका- 2(I) में वर्णित गृह अग्रिम की राशि का भुगतान व्यय शीर्ष 7610-सरकारी सेवकों आदि को उधार लधु शीर्ष 201-गृह निर्माण अग्रिम उप शीर्ष 01 सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम विस्तृत शीर्ष 07 के अधीन-63 गृह निर्माण अग्रिम मद से किया जायेगा। कंडिका-2(XII) में अंकित LIC भत्ता का भुगतान विस्तृत शीर्ष 01 वेतन एवं भत्ते के अधीन-12 छुट्टी यात्रा रियायत मद से किया जायेगा। कंडिका-2(XIX) में अंकित स्थानांतरण अनुदान का भुगतान, विस्तृत शीर्ष 02 यात्रा भत्ते के अधीन-13 देशीय यात्रा व्यय मद से किया जायेगा। शेष सभी भत्तों का भुगतान, विस्तृत शीर्ष 01 वेतन एवं भत्ते के अधीन-01 वेतन मद से किया जायेगा।
 4. झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों/सुविधाएँ के संबंध में पूर्व से निर्गत संकल्पनियम/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
 5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-1078, दिनांक 13.02.2024 के क्रम में दिनांक 23.02.2024 की बैठक के मद संख्या-20 के रूप में दी गयी है।

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव
